अध्याय 3

अस्त्र–शस्त्रों का आधुनिकीकरण

अध्याय 3

अस्त्र–शस्त्रों का आधुनिकीकरण

3.1 प्रस्तावना

वर्तमान वर्षों में अपराधियों, नक्सलियों एवं आतंकवादी तत्वों द्वारा परिष्कृत हथियारों के प्रयोग में लगातार वृद्धि को देखते हुए ऐसे तत्वों से मुकाबला करने हेतु पुलिस बल की क्षमता तथा प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसे अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित/लैस करने की आवश्यकता है। हिंसक प्रदर्शन, दंगे, आतंकवादी/नक्सली हमलों आदि से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित/लैस करने हेतु अप्रचलित हथियारों को परिष्कृत आधुनिक हथियारों एवं अन्य उपकरणों से बदलने के लिए पुलिस बल आधुनिकीकरण की योजना तथा राज्य बजट से परिव्यय संस्वीकृत किया गया था। इसके लिए न केवल पुलिस बल को सुसज्जित/लैस करने हेतु नियत किये मानदंडों की प्राथमिकता के आधार पर समय–समय पर समीक्षा की आवश्यकता थी अपितु धन की पर्याप्तता भी सुनिश्चित की जानी थी तथा पुलिस बल को आवश्यक मात्रा एवं क्षमता के अस्त्र–शस्त्र व गोलाबारूद उपलब्ध कराने हेतु एक समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण का प्रबंधन प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जाना था।

3.2 वित्तीय प्रावधान

3.2.1 पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना अन्तर्गत अस्त्र–शस्त्रों का क्रय

एम0पी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–16 में ₹ 38.31 करोड़ की धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर) हथियारों तथा गोलाबारूद के क्रय हेतु आवंटित की गयी थी परन्तु विभाग द्वारा निम्नानुसार मात्र ₹ 32.99 करोड़ (86 प्रतिशत) की धनराशि ही व्यय की जा सकी।

सारणी 3.1 अस्त्र–शस्त्रों के क्रय हेतु एमपीएफ योजना के तहत बजट आंवटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धनराशि की मांग (वार्षिक कार्य योजना)	धनराशि का आवंटन	व्यय धनराशि	समर्पण
2011–12	12.28	3.53	3.53	00
2012–13	20.48	12.10	12.10	00
2013–14	10.70	5.40	3.24	2.16
2014–15	12.78	9.39	9.39	00
2015–16	13.13	7.89	4.73	3.16
योग	**69.37**	**38.31**	**32.99**	**5.32**

(स्रोतः पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

भारत सरकार द्वारा एम0पी0एफ0 के अन्तर्गत हाल के वर्षों में बजट आवंटन में गिरावट आयी है जिसका प्रभाव आधुनिकीकरण योजना के लगभग सभी घटकों के वित्तपोषण पर पड़ा है। जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2011–16 में एम0पी0एफ0 की वार्षिक कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत ₹ 69.37 करोड़ की मांग के सापेक्ष ₹ 38.31 करोड़ (55 प्रतिशत) का ही आवंटन किया गया था तथा उसके सापेक्ष राज्य पुलिस बल हेतु

अस्त्र–शस्त्रों एवं गोलाबारूद के क्रय पर मात्र ₹ 32.99 करोड़ (48 प्रतिशत) की धनराशि ही व्यय की गयी।

उ0प्र0 शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (फरवरी 2017) एवं बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजे गये प्रस्तावों के सापेक्ष 2011–12 से 2015–16 मे ₹ 32.99 करोड़ के अस्त्र–शस्त्रों का क्रय किया गया और विगत वर्षों के लम्बित प्रस्तावों को वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया।

इससे स्पष्ट है कि पुलिस बल को अस्त्र–शस्त्रों की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

3.2.2 राज्य बजट से अस्त्र–शस्त्रों का क्रय

एमपीएफ के साथ–साथ, राज्य सरकार द्वारा अस्त्र–शस्त्रों तथा गोलाबारूद के क्रय हेतु राज्य बजट से 2011–16 में ₹ 439.04 करोड़ का आवंटन किया गया था जिसके सापेक्ष ₹ 430.92 करोड़ का उपयोग किया गया। राज्य बजट के अन्तर्गत आंवटन एवं व्यय का वर्षवार विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणीः 3.2 राज्य बजट से अस्त्र–शस्त्रों का क्रय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धनराशि का आवंटन	व्यय धनराशि	समर्पण
2011–12	20.00	20.00	00
2012–13	39.20	39.20	00
2013–14	44.00	44.00	00
2014–15	26.75	26.75	00
2015–16	309.09	309.97	8.12
योग	**439.04**	**430.92**	**8.12**

(स्रोतः पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

राज्य बजट द्वारा अवधि 2011–14 में अस्त्र–शस्त्रों तथा गोलाबारूद के क्रय हेतु ₹ 20 करोड़ से 44 करोड़ का बजट आवंटन 52,575 रायफल तथा गोलाबारूद की आवश्यकता के सापेक्ष अपर्याप्त था। परिणामस्वरूप अस्त्र–शस्त्रों तथा गोलाबारूद के क्रय के विभिन्न प्रस्ताव (47 मदों के प्रस्ताव) कई वर्षो से लंबित थे। अस्त्र–शस्त्रों की कमी को पूरा करने के लिए शासन द्वारा जिला पुलिस के महॅगाई भत्ते के मद में बचत की धनराशि में से अनियमित रूप से ₹ 265.09 करोड़ का पुनर्विनियोजन वर्ष 2015–16 में अस्त्र–शस्त्रों तथा गोलाबारूद के क्रय हेतु किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवंटन में उक्त वृद्धि के पश्चात् भी बहुत अधिक सख्या में प्रस्ताव अद्यतन लम्बित थे।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2017) और कहा कि वर्ष 2015–16 में अस्त्र–शस्त्रों एवं गोलाबारूद क्रय करने हेतु ₹ 265.09 करोड़ के बजट का पुर्नविनियोजन किया गया था।

पुनः लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2015–16 में अस्त्र–शस्त्रों एवं गोलाबारूद के क्रय हेतु व्यय धनराशि ₹ 300.97 करोड़ के सापेक्ष एक बड़े भाग (₹ 204.83 करोड़) की आपूर्ति आयुध कारखानों से अप्राप्त थी।

3.3 शस्त्र नीति के संशोधन में विलम्ब

राज्य पुलिस बल के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र–शस्त्रों तथा गोलाबारूद का नियतन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में प्रावधानित किया गया था जो वर्ष 1995 तक लागू था। वर्ष 1995 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 1953 में प्रावधानित अस्त्र/शस्त्र, विभिन्न कारणो से वर्तमान में अप्रासंगिक तथा अप्रचलित हो गये थे। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पूलिस बल के लिए अस्त्र/शस्त्रों के प्रकार तथा नियतन में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया तथा प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशकों से उनके विचार/सुझाव मांगे गये (फरवरी 1995)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रकरण सुरक्षा कारणों तथा कानून और व्यवस्था के प्रबंधन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के बावजूद, राज्य पुलिस ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने तथा राज्य पुलिस बल हेतु अस्त्र/शस्त्रों के प्रकार तथा नियतन के संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने में 17 वर्ष (फरवरी 1995 से फरवरी 2012) का समय लिया। आतंकवादी, नक्सली तथा अन्य विघटनकारी तत्वों की गूढ़ रणनीति तथा उनके द्वारा प्रयोग किये जा रहे अस्त्र/शस्त्रों की प्रकृति के दृष्टिगत, जैसा कि विगत दो दशकों में भारत सहित विश्व के विशिष्ट तथा सार्वजनिक स्थलों पर हुए हमलों से दृष्टिगत था, राज्य पुलिस द्वारा पुलिस बल को ऐसी किसी आकस्मिकता के उत्पन्न होने पर तत्काल प्रभावी रूप से निपटने के लिए आधुनिक हथियार प्रणाली तथा क्षमताओं से लैस करने हेतु नयी आयुध नीति तैयार के लिए सक्रियता नहीं प्रदर्शित की गयी। फरवरी 2012 में पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य पुलिस बल के लिए ''मानक शस्त्र नीति'' तैयार की गयी तथा उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग को संस्तुति एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार को, उनके वर्ष 1995 के प्रस्ताव के संदर्भ में, अग्रसारित करने हेतु प्रस्तुत की गयी।

अभिलेखों की अग्रेतर जाँच में देखा गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति प्रदान करने तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव अग्रसारित करने में चार वर्ष का समय लिया गया। इस प्रकार गृह मंत्रालय भारत सरकार को राज्य पुलिस बल के लिए मानक शस्त्र नीति 21 वर्षों पश्चात् जनवरी 2016 में प्रेषित की गयी।

उ0प्र0 शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) एवं अवगत कराया कि शस्त्र नीति का अनुमोदन गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त होना प्रतीक्षित है।

यह पुलिस विभाग तथा राज्य सरकार का नागरिकों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का उचित प्रबंधन तथा कानून और व्यवस्था से संबन्धित मामलों में उसके अत्यधिक उदासीन रवैये को दर्शाता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शस्त्र नीति का अनुमोदन 2016 तक प्रतीक्षित था।

3.4 हथियारों की उपलब्धता

पुलिस मुख्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित प्रस्ताव (अप्रैल 2016) में अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग में पिस्टल/रिवाल्वर श्रेणी में 17,6,110 तथा रायफल श्रेणी में 9,445 हथियारों की कमी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपलब्ध जनशक्ति के सापेक्ष रिवाल्वर/पिस्टल

ग्लाक पिस्टल

श्रेणी में 45,047 हथियारों की कमी थी ***(परिशिष्ट 3.1)*** तथा रायफल श्रेणी में 56,928 ***(परिशिष्ट 3.2)*** हथियारों की अधिकता थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि अस्त्र–शस्त्रों का क्रय पुलिस कर्मियों की स्वीकृत जनशक्ति के आधार पर किया गया था। पुलिस कर्मियों की भर्ती एक नियमित प्रक्रिया है और शस्त्रों का क्रय नये भर्ती हुए पुलिस कर्मियों को शस्त्र उपलब्ध कराने हेतु किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हथियारों की उपलब्धता एवं आवश्यकता में बहुत अन्तर था। इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार क्रय नहीं किया गया था।

3.5 अप्रचलित हथियारों से सुसज्जित

वर्ष 1995 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार प्वाइंट–303 रायफल को अप्रचलित घोषित कर दिया गया था तथा इसे आधुनिक हथियारों से प्रतिस्थापित किया जाना था।

प्वाइंट–303 राइफल

यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि पुलिस बल के पास 2015–16 में उपलब्ध 1.22 लाख रायफलों में से 58853 रायफल .303 श्रेणी की थी। पुलिस बल के लिए रायफल एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार होने के बावजूद लगभग 48 प्रतिशत पुलिस बल द्वारा .303 श्रेणी की रायफल का उपयोग अभी भी किया जा रहा था जिसे 20 वर्ष पूर्व अप्रचलित घोषित किया जा चुका था।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) और अवगत कराया कि .303 राइफलों को इन्सास राइफल से बदला जा रहा है और इसे बदलने की प्रक्रिया पाँच वर्षों में पूर्ण होगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्वाइंट .303 राइफल को बीस वर्ष पूर्व (फरवरी 1995) में अप्रचलित घोषित कर दिया गया था तथा 48 प्रतिशत पुलिस बल द्वारा प्वाइंट .303 राइफल का प्रयोग अभी तक किया जा रहा हैं।

पुनः लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 नमूना जांच जनपदो में से 14 जनपदों में जनपदीय पुलिस द्वारा प्वाइंट .303 श्रेणी की 16700 रायफलों का उपयोग किया जा रहा था ***(परिशिष्ट 3.3)***।

3.6 अप्रयुक्त पड़ी अमोघ रायफल

आधुनिकीकरण योजना के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा सितम्बर 2008 में 148 अमोघ कार्बाइन की आपूर्ति हेतु आयुध कारखाना कोलकाता को ₹ 26.64 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुध कारखाना खड़की, पुणे द्वारा गोलाबारूद की आपूर्ति न होने के कारण अक्टूबर 2009 में आपूर्तित 80 अमोघ रायफल का प्रयोग राज्य पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा था तथा यह रायफल केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में विगत आठ वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। पुनः लेखापरीक्षा में देखा

गया कि अवशेष 68 अमोघ रायफलों की आपूर्ति सितम्बर 2016 तक नहीं प्राप्त हुई थी। उ0प्र0 शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि 80 अमोघ राइफल मांग के सापेक्ष प्राप्त हुई थी जिसको जनपद इकाईयों को वितरित नहीं किया जा सका था, क्योंकि उनका कारतूस प्राप्त नहीं हुआ था। वर्तमान में उनके कारतूस प्राप्त हो गये है और राइफलों को वितरित कर दिया गया है।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कारतूसों के प्राप्त होने और राइफलों के वितरण का कोई साक्ष्य शासन के उत्तर के साथ संलग्न नहीं था तथा अवशेष 68 राइफलों की आपूर्ति अब तक आयुध भण्डार द्वारा नहीं की गई थी।

3.7 गोला बारूद की कमी

हेड कांस्टेबल तथा उसके उपर के पुलिस कर्मियों तथा समस्त पुलिस अधिकारियों को पिस्तौल प्रदान की जाती है। इसके साथ–साथ 30 प्रतिशत कान्सटेबल को भी पिस्तौल/रिवाल्वर से लैस किया जाता है। पुनः विशेष पुलिस बल/जिला सशस्त्र पुलिस/पीएसी/वीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल द्वार कार्बाइन का प्रयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आटोमेटिक पिस्तौल तथा कार्वाइन में 9 एमएम कारतूस गोलाबारूद का प्रयोग किया जाता है। यह देखा गया कि इस श्रेणी की कारतूस गोलाबारूद की आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी थी। वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में आयुध कारखानों द्वारा पुलिस विभाग को आपर्तित 9एमएम बाल गोलाबारूद का विवरण निम्नवत थाः

सारणीः 3.3 आयुध कारखानों द्वारा आपूर्तित 9एमएम कारतूस की स्थिति

वर्ष	मांग	आयुध कारखानों द्वारा आपूर्ति	कमी
2014–15	5,39,000	शून्य	5,39,000
2015–16	6,57,651	1,30,622	5,27,029

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (फरवरी 2017) तथा बताया गया कि 9 एमएम कारतूस की प्रत्येक मांग गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जाती है किन्तु मांग के अनुरूप 9एमएम कारतूस की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, परिणामतः कमी बनी रहती है ।

9 एमएम कारतूस की आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी का प्रभाव वीआईपी सुरक्षा तथा प्रशिक्षण पर पड़ना स्वाभाविक था।

3.8 केन्द्रीय भण्डार

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर, जिसकी स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी, प्रदेश पुलिस बल हेतु अस्त्र–शस्त्र, गोलाबारूद तथा युद्ध सामग्री का एकमात्र भण्डार तथ वितरण केन्द्र था। केन्द्रीय भण्डार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में भण्डार की मरम्मत तथा रख–रखाव में प्रकाश में आयी कमियों का उल्लेख निम्नवत किया गया है।

3.8.1 हथियारों तथा गोलाबारूद का अनियमित भण्डारण

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर पुलिस मख्यालय द्वारा क्रय किये जाने वाले (राज्य बजट तथा एमपीएफ योजना के तहत) समस्त अस्त्र–शस्त्र तथा गोलाबारूद को एकत्र कर भण्डारण करने तथा उन्हें संबंधित पुलिस इकाई/पीएसी को पुलिस मुख्यालय द्वारा

अधिकृत आदेश के आधार पर निर्गत करने वाला एकमात्र भण्डारण केन्द्र है। केन्द्रीय भण्डार विभिन्न पुलिस इकाईयों/पीएसी से अपनी निर्धारित आयु पूरी करने के पश्चात बेकार घोषित अस्त्र–शस्त्र तथा गोलाबारूद की वापस प्राप्ति, भण्डारण तथा नष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार था।

इन वर्षों में क्रय किये गये अस्त्र–शस्त्र, गोलाबारूद की प्रकृति तथा जटिलता एवं पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर व्यय की जा रही धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवधि 2011–16 में अस्त्र–शस्त्र तथा गोलाबारूद की खरीद पर ₹ 463.91 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी, इसलिए यह आवश्यक था कि केन्द्रीय भण्डार में अस्त्र–शस्त्रों एवं गोलाबारूद के भण्डारण हेतु पर्याप्त व सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो।

लेखापरीक्षा अन्तर्गत भौतिक निरीक्षण में देखा गया कि (मई 2016) केन्द्रीय भण्डार की इमारत लगभग 100 वर्ष पुरानी तथा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में थी। बैरकें जहाँ हथियार तथा गोलाबारूद भण्डारित थे, की छतों से मानसून के दौरान बरसात के पानी के रिसाव की गंभीर समस्या थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि भण्डार गृह में स्थान उपलब्ध न होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में नये क्रय किये गये हथियार गलियारे में रखे गये थे। इन बिन्दुओं को अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा भी अप्रैल 2016 में केन्द्रीय भण्डार के भौतिक निरीक्षण में उठाया गया था। यह प्रदर्शित करता है कि केन्द्रीय भण्डार की वर्तमान इमारत की खराब दशा एवं क्रय किये जा रहे हथियारों तथा गोलाबारूद की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद भी केन्द्रीय भण्डार के आधुनिकीकरण को पूरी तरह नजरंदाज किया गया, क्योंकि पूर्व में भवन की मरम्मत/उच्चीकरण अथवा केन्द्रीय भण्डार हेतु नेय भवन निर्माण का कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

केंद्रीय भंडार, सीतापुर में अपर्याप्त स्थान के कारण अनियोजित ढंग से राईफल का भंडारण

केंद्रीय भंडार, सीतापुर स्थान की कमी के कारण खुले बरामदे में रखे अस्त्र–शस्त्र

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि केन्द्रीय रिजर्व में भण्डारण स्थल की कमी की समस्या इसलिए विकट हो गयी थी क्योंकि विभिन्न पुलिस इकाईयों से विगत वर्षों में निपटान/नष्ट करने के लिए वापस प्राप्त निष्प्रयोज्य हथियारों का निपटारा/नष्ट करने में केन्द्रीय भण्डार प्रशासन विफल रहा था, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में 2011–15 में निष्प्रयोज्य घोषित 8728 अस्त्र–शस्त्र जमा रखे गये थे तथा इनका निपटारा/नष्ट किया जाना मई 2016 तक प्रतीक्षित था। इनके निपटारा/नष्ट किये जाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर लंबित था। वर्ष 2011 से पूर्व के निष्प्रयोज्य भण्डार का विवरण केन्द्रीय भण्डार

सीतापुर द्वारा उपलब्ध नहीं करया गया था। यह प्रदर्शित करता है कि भण्डार हेतु स्थान की विकट समस्या होने के बाद भी केन्द्रीय भण्डार सीतापुर तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य अस्त्र–शस्त्रों को नष्ट/निपटारा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणामतः, निष्प्रयोज्य अस्त्र–शस्त्र कई वर्षों से केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में जमा रखे गये थे तथा महंगे नये अस्त्र–शस्त्र का भण्डारण सुरक्षित ढंग से नहीं किया गया था। अस्त्र–शस्त्रों को गलियारे में रखे जाने से उनके क्षतिग्रस्त होने, चोरी आदि के खतरे की संभावना विद्यमान थी।

इस प्रकार, केन्द्रीय भण्डार सीतापुर उचित भण्डारण स्थान की गंभीर समस्या से ग्रसित था परन्तु न तो पुलिस मुख्यालय द्वारा अस्त्र–शस्त्रों तथा गोलाबारूद के भण्डारण हेतु सुरक्षित भण्डारगृह के निर्माण हेतु कोई प्रयास किये गये और न ही केन्द्रीय भण्डार प्रशासन द्वारा निष्प्रयोज्य भण्डार को समय से नष्ट किये जाने का कोई प्रयास किया गया, जिससे नये क्रय हथियारों को उचित प्रकार से रखा जा सकता था।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) और अवगत कराया कि अस्त्र–शस्त्रों का भण्डारण 11वी वाहिनी पीएसी एवं केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में किया जाता है। अस्त्र एवं शस्त्रों के भण्डारण हेतु अतिरिक्त स्थान की मांग की गई थी और खुले स्थान पर रखे गये अस्त्र–शस्त्रों को स्थानान्तरित किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय भण्डार के भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर द्वारा पर्याप्त भण्डारण की गंभीर समस्या का सामना किया जा रहा था और न तो पुलिस मुख्यालय द्वारा अस्त्र एवं शस्त्रों के पर्याप्त और सुरक्षित भण्डारण हेतु भवन के निर्माण हेतु अत्याधुनिक कदम उठाये गये थे न ही केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों द्वारा निष्प्रयोज्य पड़े अस्त्र–शस्त्रों का समयबद्ध निस्तारण किया गया था जिससे नये क्रय किये गये शास्त्रो को चिन्हित भवनों में रखा जा सके।

संस्तुतियाँ

- *चूँकि वर्तमान बैरकें, जहाँ हथियार तथा गोलाबारूद भण्डारित है, जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, विभाग द्वारा इसका प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए कि बैरकें आधुनिक हथियार तथा गोला बारूद के भण्डार हेतु अभी भी ठीक एवं उपयुक्त है अथवा नहीं और तदनुसार ऐसे अस्त्र–शस्त्रों तथा गोला बारूद के पर्याप्त एवं सुरक्षित भण्डारण हेतु सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।*
- *अप्रचलित हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए कि अप्रचलित हथियार वर्षों तक भण्डार में रखे न रहें तथा इनको समयबद्ध तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए जिससे नये क्रय हथियारों के भण्डारण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।*

3.8.2 अपर्याप्त सुरक्षा तथा निगरानी

चूँकि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर बड़ी मात्रा में अस्त्र–शस्त्रों तथा गोलाबारूद का भण्डारण करता है अतः इसकी अभेद्य सुरक्षा के उपाय, जिसमें भौतिक सुरक्षा जैसे चहारदीवारी आदि के साथ–साथ इलेक्ट्रानिक निगरानी यथा सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, हथियारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक थे।

चहारदीवारी का निर्माण

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में वर्ष 2013–14 तक कोई चहारदीवारी नहीं थी अक्टूबर 2011 में केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर के चारों ओर ₹ 1.25 करोड़ की लागत से 575 मी0 लंबी चहारदीवारी (बाड़ के साथ) के निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चहारदीवारी के निर्माण के आगणन में निगरानी टावर का प्रावधान नहीं किया गया था, जो कि ऐसे संवेदन शील प्रतिष्ठान की उचित सुरक्षा एवं निगरानी हेतु आवश्यक था। शासन द्वारा केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर की पूर्ण चहारदीवारी के निर्माण की संस्वीकृति प्रदान करने के स्थान पर केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर हेतु ₹ 0.73 करोड़ की लागत से मात्र 320.70 मीटर लंबी चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। फलतः निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था पुलिस आवास निगम द्वारा ₹ 0.73 करोड़ की लागत से केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर के दो तरफ पूर्ण तथा तीसरी तरफ आधी 320.70 मीटर लंबी चहारदीवारी का निर्माण कराया गया। केन्द्रीय भण्डार, सीतापुर परिसर अब तक बिना पूर्ण चहारदीवारी के असुरक्षित था।

यह प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा प्रारम्भ में प्रस्तुत प्रस्ताव अपूर्ण था क्योंकि इसमें निगरानी टावर का प्रावधान नहीं किया गया था। शासन द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति भी अपर्याप्त थी क्योंकि इसमें केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर की उपयुक्त सुरक्षा की व्यवस्था का प्राविधान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवशेष चहारदीवारी, अस्त्र–शस्त्रों तथा गोलाबारूद की सुरक्षा हेतु निगरानी टावर, ढका हुआ मोर्चा संरचना (कवर्ड मोर्चा) और केन्द्रीय भण्डार की आंतरिक पेट्रोलिंग हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 9.29 करोड़ की आगणित लागत का एक प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) द्वारा मई 2016 में शासन को प्रेषित किया गया था। शासन स्तर से प्रस्ताव पर आवश्यक संस्वीकृति सितम्बर 2016 तक प्रतीक्षित थी।

अद्यतन, केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में निगरानी टावर के साथ एक पूर्ण चहारदीवारी न होने के कारण उपयुक्त भौतिक सुरक्षा का अभाव था।

सीसीटीवी निगरानी

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में अत्यधिक मात्रा में अस्त्र–शस्त्रों, गोला बारूद तथा विस्फोटकों का भण्डारण होने के कारण इसके परिसर की भौतिक एवं मानवीय सुरक्षा के साथ–साथ सीसीटीवी कैमरों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की जानी आवश्यक थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुरक्षा निगरानी का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, यद्यपि पुलिस बल द्वारा शहरों में निगरानी के साथ–साथ संवेदनशील धार्मिक स्थलों एवं अन्य भवनों की निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरों का वृहद मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। सीसीटीएनएस परियोजना के अन्तर्गत पुलिस स्टेशनों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाये गये थे। यह सुनिश्चित किया गया कि मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के पुलिस विभाग के केन्द्रीय भण्डार में सीसीटीवी कैमरे स्थापित थे यद्यपि पुलिस मुख्यालय द्वारा आधुनिकीकरण योजना अर्न्तगत केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐसा कोई प्रस्ताव 2011–16 में नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) और अवगत कराया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा मई 2016 के प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रयास किया जा रहा है एवं

प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रीय भण्डार सीतापुर की सुरक्षा, मानक के अनुरुप हो जायेगी एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे द्वारा 24 घंटे निगरानी की जायेगी।

तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भण्डार सीतापुर की सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण नहीं किया गया था और यह ऐसे संवेदनशील स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विभाग के अत्यंत उदासीन रवैये को दर्शाता है, जबकि सैन्य बल, केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बल तथा राज्य पुलिस बल के महत्वपूर्ण स्थलों पर आतंकवादियों तथा नक्सली तत्वों के आक्रमणों की अनेक घटनायें देश में घट चुकी है।

संस्तुतियाँ

सरकार को केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में अन्य आवश्यक कदमों के अतिरिक्त चहारदीवारी के अवशेष भाग, बाड़ तथा निगरानी टावरों का तत्काल निर्माण कराकर और उचित स्थलों पर चौबीसों घण्टें निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कराकर, सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त रुप से मजबूत एवं आधुनिक करना चाहिए।

3.8.3 अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

भण्डार गृह, जहॉ बड़ी मात्रा में अस्त्र–शस्त्र, गोला बारुद एवं विस्फोटक पदार्थ रखे गये हों, हेतु पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान अत्यन्त आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अग्नि शमन अधिकारी, सीतापुर द्वारा केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में अग्नि सुरक्षा संबधी व्यवस्था की जॉच हेतु जून 2016 में स्थलीय निरीक्षण किया गया और तत्काल आवश्यक कदम जैसे प्रत्येक भण्डार गृह में फायर एक्सटिंगुशर की स्थापना, विस्फोटकों का भण्डारण तहखाने की बजाय भूतल पर करना, वेट राइजर तथा फायर हाइड्रेंट की स्थापना, 50,000 लीटर क्षमता के भूमिगत पानी के टैंक का निर्माण एवं 450 एलपीएम क्षमता के पम्प के साथ 10,000 लीटर क्षमता के टैंक का

निर्माण भवन की छत पर कराया जाना और परिसर के गेट पर धूमपान निषेध का बोर्ड लगाये जाने का सुझाव दिया गया।

उ0प्र0 शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) और अवगत कराया कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के सुझाव पर एक प्रस्ताव केन्द्रीय भण्डार की वर्तमान अग्निसुरक्षा प्रणाली में कमियों का निस्तारण करने हेतु बनाया जा रहा है।

यह दर्शाता है कि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर मार्च 2017 तक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की बुनियादी सुविधाओं के बिना ही कार्य कर रहा था और विभाग द्वारा केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण अथवा उच्चीकरण का कोई कार्य नहीं किया गया था यद्यपि देश में हथियारो तथा गोलाबारुद गोदामों के साथ–साथ अन्य नागरिक भवनों में आग लगने की बड़ी घटनाएँ प्रकाश में आयी थीं।

संस्तुति

अग्नि शमन अधिकारी, सीतापुर द्वारा सुझाए गये अग्नि शमन सुरक्षा संबधी उपायों को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय भण्डार सीतापुर मे लागू किया जाना चाहिए।

3.8.4 केन्द्रीय भण्डार में जनशक्ति की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2016 में केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में विभिन्न पदों पर स्वीकृत नियतन 40 के सापेक्ष मात्र 16 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे ***(परिशिष्ट 3.4)*** जनशक्ति में कमी उपनिरीक्षक एवं लिपिकीय/कार्यालयीय संवर्ग में थी जो अस्त्र–शस्त्र व गोला बारुद की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार पर्याप्त जनशक्ति का अभाव केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में भण्डारित अस्त्र–शस्त्र एवं गोलाबारुद की देखरेख, मरम्मत एवं सुरक्षा प्रभावित कर सकता था।